Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 32–2020/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, FEBRUARY 29, 2020 (PHALGUNA 10, 1941 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 29th February, 2020

No. 15-HLA of 2020/27/3874.— The Haryana Scheduled Castes (Reservation in Admission in Government Educational Institutions) Bill, 2020, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 15-HLA of 2020

THE HARYANA SCHEDULED CASTES (RESERVATION IN ADMISSION IN GOVERNMENT EDUCATIONAL INSTITUTIONS) BILL, 2020

A

BILL

to provide for reservation in admission in Government educational institutions to persons belonging to the Scheduled Castes in the State of Haryana with special measures for deprived Scheduled Castes and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-first Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Act, 2020. Short title.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,- Definitions.

(a) "Annexure" means the Annexure appended to this Act;

(b) "competent authority" means an officer appointed under section 5;

(c) "deprived Scheduled Castes" means such Scheduled Castes as specified in Annexure;

(d) "Government educational institution" means any higher education institution established and maintained by the Government or receiving aid out of the State funds, imparting education leading to the award of a degree including a post-graduate degree and shall include Government aided technical and professional institutions;

(e) "Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;

(f) "prescribed" means prescribed by the rules;

(g) "Scheduled Castes" means Scheduled Castes notified under article 341 of the Constitution of India.

Reservation.

3. (1) Twenty per cent seats shall be reserved for the members of the Scheduled Castes while making admission in Government educational institutions.

(2) Fifty per cent of the twenty per cent seats reserved for Scheduled Castes for admission in any Government educational institution shall be set aside for candidates belonging to deprived Scheduled Castes as enumerated in the Annexure.

Seats not to be carried forward to next year.

4. Where a seat set aside for candidate from deprived Scheduled Castes for admission in Government educational institutions is not filled up in any academic year due to non-availability of candidate of deprived Scheduled Castes possessing the requisite qualifications, the same shall be made available to candidate of Scheduled Castes.

Competent authority to issue certificate.

5. (1) The Government may, by notification, appoint any officer as competent authority for the purposes of carrying out the provisions of this Act.

(2) The competent authority shall, for the purposes of section 3, issue caste identification certificate specifying the caste name of the Scheduled Caste, in such manner, as may be prescribed.

(3) The competent authority shall, for the purposes of this Act, exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed.

(4) The competent authority shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act 45 of 1860).

Certificate of identification.

6. A person belonging to the deprived Scheduled Castes shall, for the purposes of section 3, support his candidature by a certificate of caste identification issued by the competent authority under sub-section (2) of section 5.

Protection of action taken in good faith.

7. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the competent authority, officers of the Government for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule or order made thereunder.

Power to remove difficulties.

8. If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of three years from the commencement of this Act.

Power to make rules.

9. (1) The Government shall, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) Every rule made under this Act shall, as soon as possible, after it is made, be laid before the State Legislature.

Review of Annexure.

10. The Government may, on the basis of such criteria, as may be prescribed and on the expiration of ten years from the coming into force of this Act and at every succeeding period of five years thereafter, review the Scheduled Castes included in the Annexure.

ANNEXURE

(see section 3)

LIST OF DEPRIVED SCHEDULED CASTES

1. Ad Dharmi
2. Balmiki
3. Bangali
4. Barar, Burar, Berar
5. Batwal, Barwala
6. Bauria, Bawaria
7. Bazigar
8. Bhanjra
9. Chanal
10. Dagi
11. Darain
12. Deha, Dhaya, Dhea
13. Dhanak
14. Dhogri, Dhangri, Siggi
15. Dumna, Mahasha, Doom
16. Gagra
17. Gandhila, Gandil Gondola
18. Kabirpanthi, Julaha
19. Khatik
20. Kori, Koli
21. Marija, Marecha
22. Mazhabi, Mazhabi Sikh
23. Megh, Meghwal
24. Nat, Badi
25. Od
26. Pasi
27. Perna
28. Pherera
29. Sanhai
30. Sanhal
31. Sansi, Bhedkut, Manesh
32. Sansoi
33. Sapela, Sapera
34. Sarera
35. Sikligar, Bariya
36. Sirkiband

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Article 15 (5) of the Constitution of India authorises State Government to make special provisions, by law, for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes for their admission to educational institutions including private educational institutions.

Haryana provides 20% reservation for Scheduled Castes in admission in educational institutions as well in services. Analysis of employee data reveals that the total representation of a section of the Scheduled Castes in Government Services in Haryana, specified in Annexure (hereinafter, referred to as the "Deprived Scheduled Castes") is only 4.7%, 4.14% and 6.27% in Group-A, Group B and Group-C services respectively, even though their population is about 11% of the total State population. It is further revealed that the population of other Scheduled Castes in Haryana is also about 11% of the total State population but in respect of representation in Government Services their share is 11%, 11.31% and 11.8% in Group A, B and C, respectively.

The reason for poor representation of the Deprived Scheduled Castes in Government services is also revealed by the education data collected in Socio-Economic Caste Census survey 2011. The minimum prescribed educational qualification for majority of the posts of Group A, B & C services in the State of Haryana is Graduation. The SECC data reveals that in terms of education, only 3.53% population of the Deprived Scheduled Castes is Graduate, 3.75% of them are Senior Secondary level and 6.63% are Matric/Secondary level. Also 46.75% of them are illiterate.

The social and educational backwardness of this section of Scheduled Castes make them a distinct class of citizens, who are deprived the Constitutional right to equality of opportunity in comparison with the general Scheduled Castes population due to lack of education. The Deprived Scheduled Castes are not able to compete with other Scheduled Castes of the State of Haryana in respect of Government jobs. Therefore, there is a need to provide proportionate distribution of benefits of reservation amongst various sections of the society and to uplift the Deprived Scheduled Castes, who failed to take due benefit of the reservation system alongwith all other Scheduled Castes. It is, therefore, desirable to make reservation in admission in Government and Government Aided Educational Institutions for them.

With a view to ensure that creamy layer is excluded from benefit of reservation, State Government shall conduct a periodical review to verify the backwardness of each of the deprived castes and include or exclude such castes as may qualify the creamy layer criteria. Further, to ensure a more proportionate distribution of reservation benefits for Scheduled Castes in respect of admissions in educational institutions at the Graduate & Post-Graduate level, it is proposed to provide that while making admission at the Graduate and Post-Graduate level in educational institutions, twenty per cent seats shall be reserved for the members of the Scheduled Castes of which fifty per cent of the twenty per cent seats so reserved shall be offered to the applicants belonging to Deprived Scheduled Castes enumerated in Annexure of the Bill, as a first preference from amongst the Scheduled Castes. Where the seats offered to Deprived Scheduled Castes for admission at the Graduate and Post-Graduate level in educational institutions are not filled up in any academic year due to non-availability of candidates of Deprived Scheduled Castes possessing the requisite qualifications, the same shall, after the display of the final list of such admissions for that year be made available to candidates of Scheduled Castes by the educational institutions.

Hence this bill.

MANOHAR LAL,
Chief Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 29th February, 2020.

R. K. NANDAL,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELAGATED LEGISLATION

Clause 8 and 9 of the proposed bill empowers State Government to remove difficulties and to frame rules for carrying out the purposes of the Act. This delegation of powers to the executive is of normal characters. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under Rule 126 of the rules of procedure and conduct of business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2020 का विधेयक संख्या 15 एच.एल.ए.

हरियाणा अनुसूचित जाति (सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) विधेयक, 2020

हरियाणा राज्य में वंचित अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अध्युपयाओं सहित अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों को सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण के लिए तथा इससे संबंधित अथवा इससे आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा अनुसूचित जाति (सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में आरक्षण) अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अनुलग्नक'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम से संलग्न अनुलग्नक;

(ख) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, धारा 5 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी;

(ग) ''वंचित अनुसूचित जातियों'' से अभिप्राय है, अनुलग्नक में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी अनुसूचित जातियां;

(घ) ''सरकारी शैक्षणिक संस्था'' से अभिप्राय है, सरकार द्वारा स्थापित तथा अनुरक्षित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली तथा स्नातकोत्तर डिग्री सहित डिग्री देने के लिए शिक्षा प्रदान करने वाली कोई उच्चतर शैक्षणिक संस्था तथा इसमें सरकारी सहायताप्राप्त तकनीकी तथा व्यवसायिक संस्थाएं भी शामिल होंगी;

(ङ) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(च) ''विहित'' से अभिप्राय है, नियमों द्वारा विहित;

(छ) ''अनुसूचित जातियों'' से अभिप्राय है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन अधिसूचित अनुस्चित जातियां।

आरक्षण।

3. (1) सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिला करते समय बीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित की जाएंगी।

(2) किसी सरकारी शैक्षणिक संस्था में दाखिले के लिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित बीस प्रतिशत सीटों का पचास प्रतिशत अनुलग्नक में यथा वर्णित वंचित अनुसूचित जातियों से संबंधित उम्मीदवारों को दिया जाएगा।

सीटों का अगले वर्ष हेतु अग्रेषित न किया जाना।

4. जहां सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले के लिए वंचित अनुसूचित जातियों को दी गई कोई सीट, अपेक्षित योग्यताएं रखने वाले वंचित अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण किसी शैक्षणिक वर्ष में भरी नहीं जाती है, तो वह अनुसूचित जातियों के उम्मीदवार को उपलब्ध करवायी जाएगी।

प्रमाण–पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी।

5. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी को नियुक्त कर सकती है।

(2) धारा 3 के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अनुसूचित जाति का नाम विनिर्दिष्ट करते हुए जाति पहचान प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो विहित किए जाएं।

(4) सक्षम प्राधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक के रूप में समझा जाएगा।

6. वंचित अनुसूचित जातियों से संबंधित कोई व्यक्ति, धारा 3 के प्रयोजनों के लिए, धारा 5 की उप–धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अपनी जाति के नाम वाले जाति पहचान प्रमाण–पत्र द्वारा अपनी उम्मीदवारी समर्थित करेगा। पहचान प्रमाण–पत्र।

7. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अधीन कोई बात, जो सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित है, के लिए सरकार के सक्षम प्राधिकारी, अधिकारियों के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियाजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी । सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

8. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित, आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्असगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों : कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस धारा के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

9. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, यथा सम्भव शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

10. सरकार ऐसे मानदण्ड, जो विहित किए जाएं, के आधार पर तथा इस अधिनियम के लागू होने से दस वर्ष की समाप्ति पर तथा तत्पश्चात् पांच वर्ष की प्रत्येक उत्तरवर्ती अवधि पर, अनुलग्नक में शामिल अनुसूचित जातियों का पुनरीक्षण कर सकती है। अनुलग्नक का पुनरीक्षण।

अनुलग्नक

(धारा 3 दे.खए)

वंचित अनुसूचित जातियों की सूची

1 अद धर्मी
2 बाल्मीकि
3 बंगाली
4 बरार, बुरार बेरार
5 बटवाल, बरवाला
6 बोरिया, बावरिया
7 बाजीगर
8 बंजारा
9 चनल
10 दागी
11 दरेन
12 देहा, धाया, धेइया
13 धानक
14 धोगरी, धांगरी, सिग्गी
15 डुमना, महाशा, डूम
16 गगरा
17 गंधीला, गंदील गंदोला
18 कबीरपंथी, जुलाहा
19 खटीक
20 कोरी, कोली
21 मरीजा, मरेचा
22 मजहबी, मजहबी सिक्ख
23 मेघ, मेघवाल
24 नट, बदी
25 ओड
26 पासी
27 पेरना
28 फरेरा
29 संहाई
30 संहाल
31 सांसी, भेदकुट, मनेश
32 संसोई
33 सपेला, सपेरा
34 सरेरा
35 सिक्लीगर, बरीया
36 सिरकीबंद

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 (5) राज्य सरकार को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए निजी शिक्षण संस्थान सहित शैक्षणिक संस्थानों प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है।

हरियाणा राज्य में सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के साथ–साथ सार्वजनिक रोजगार में भी अनुसूचित जाति के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाता है। कर्मचारी डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि हरियाणा में सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों का एक वर्ग, जो कि अनुलग्नक में निर्दिष्ट है (जिसे इसके बाद वंचित अनुसूचित जाति के रूप में संदर्भित किया गया है) का कुल प्रतिनिधित्व ग्रुप ए, बी और सी सरकारी सेवाओं में क्रमशः केवल 4.7, 4.14 और 6.27 प्रतिशत है, भले ही उनकी आबादी कुल राज्य की आबादी का लगभग 11 प्रतिशत है। यह भी ज्ञात हुआ है कि हरियाणा में अन्य अनुसूचित जातियों की जनसंख्या भी कुल राज्य की आबादी का लगभग 11 प्रतिशत है, लेकिन सरकारी सेवाओं में प्रतिनिधित्व के संबंध में उनका हिस्सा ग्रुप ए, बी और सी सेवाओं में क्रमशः 11, 11.31 और 11.8 प्रतिशत है।

सरकारी सेवाओं में वंचित अनुसूचित जातियों के खराब प्रतिनिधित्व का कारण सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) सर्वेक्षण 2011 में एकत्र किए गए शिक्षा आंकड़ों से पता चलता है। ग्रुप ए, बी और सी के पदों के बहुमत के लिए न्यूनतम निर्धारित शैक्षणिक योग्यता। हरियाणा राज्य में स्नातक हैं। एसईसीसी डेटा से पता चलता है कि शिक्षा के मामले में, वंचित अनुसूचित जातियों की केवल 3.53 प्रतिशत आबादी स्नातक है, 3.75 प्रतिशत वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की हैं और 6.63 प्रतिशत मैट्रिक या माध्यमिक स्तर की हैं तथा 46.75 प्रतिशत निरक्षर हैं।

वंचित अनुसूचित जाति के इस वर्ग का शैक्षणिक पिछड़ापन उन्हें नागरिकों का एक अलग वर्ग बनाता है, जो अन्य अनुसूचित जाति की जनसंख्या की तुलना में अवसर की समानता के लिए संवैधानिक अधिकार से वंचित हैं। इसलिए, शिक्षा में अवसर की समानता के माध्यम से, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच आरक्षण के लाभों का आनुपातिक वितरण और वंचित अनुसूचित जातियों के उत्थान की आवश्यकता है। इसलिए, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर डिग्री प्रदान करने वाले सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु उनके लिए आरक्षण करना वांछनीय है।

स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण के लाभों का अधिक आनुपातिक वितरण सुनिश्चित करने के लिए, यह प्रदान करना प्रस्तावित है कि स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश करते समय शैक्षणिक संस्थानों में, बीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित होंगी, जिनमें से बीस प्रतिशत सीटों का पचास प्रतिशत आरक्षित सीटें वंचित अनुसूचित जातियों से संबंधित आवेदकों, जिनकी गणना अनुलग्नक में की गई है, को दी जाएंगी। जहां शैक्षणिक संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश के लिए वंचित अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली सीटें किसी भी शैक्षणिक वर्ष में अपेक्षित अनुसूचित योग्यताओं वाले अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने के कारण भरी नहीं जा सकती वो शैक्षणिक संस्थानों द्वारा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाएंगी।

मनोहर लाल,
मुख्यमंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 29 फरवरी, 2020.

आर० के० नांदल,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक की धारा 8 व 9 इस अधिनियम के उद्देश्य पूर्ति हेतू राज्य सरकार को कठिनाईयां दूर करने व नियम बनाने की शक्तियाँ प्रदान करती है । कार्यकारियों को इस शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकार का है । इसलिए हरियाणा विधान सभा में यह विधेयक प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 126 में दिए गए प्रावधानों अनुसार प्रत्यायोजित विधान के बारे में है ।

8713—H.V.S.—H.G.P. Pkl.